रजिस्टर्ड 102

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प01(272)एमई / ग्रुप–1 / 17 जयपुर, दिनांक : 25 SEP 2019

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(71)एमई / ग्रुप–1 / 88पार्ट दिनांक 25.09.2017 के द्वारा डॉ. सुनिता लाम्बा (मेरिट क्रमांक 5 / पिछड़ा वर्ग महिला, जन्म तिथि 09.06.1985) की नियुक्ति सहायक आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग के पद पर कर, इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया गया था। जिसके क्रम में डॉ. सुनिता लाम्बा द्वारा दिनांक 16.01.2018 को मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में सहायक आचार्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग के पद पर कार्यग्रहण किया गया।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ने उनके पत्र क्रमांक 5073 दिनांक 26.03.2018 के द्वारा अवगत करवाया कि डॉ. लाम्बा दिनांक 09.02.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 10.02.2018 से अवकाश पर चली गई। जिसके क्रम में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.05.2018 के द्वारा डॉ. लाम्बा को निर्देशित किया गया कि 15 दिवस की अवधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा परीवीक्षाकाल में सेवायें असन्तोषजनक मानते हुए सेवा समाप्ति की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ने उनके पत्र क्रमांक 9031 दिनांक 08.06.2018 के द्वारा अवगत करवाया कि डॉ. लाम्बा दिनांक 24.05.2018 से बिना सूचना के पुनः अनुपस्थित चल रही हैं। इस प्रकार डॉ. लाम्बा परीवीक्षाकाल में दिनांक 10.02.2018 से 20.05.2018 (100 दिवस) तक तथा पुनः दिनांक 24.05.2018 से लगातार (आदिनाक तक) बिना सूचना के स्वैच्छा से अपने पदस्थापित स्थान से अनुपस्थित रही।

अतः डॉ. सुनिता लाम्बा, सहायक आचार्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के परीवीक्षाकाल में दिनांक 10.02.2018 से 20.05.2018 (100 दिवस) तक तथा पुनः दिनांक 24.05.2018 से लगातार (आदिनाक तक) बिना सूचना के स्वैच्छा से अपने पदस्थापित स्थान से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप परिवीक्षाकाल में इनकी सेवाऐं असन्तोषजनक मानते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 27 के उप नियम (1) के प्रावधान के अनुसार डॉ. लाम्बा की सहायक आचार्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग के पद की सेवा एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ–7(41) / भर्ती / गोपनीय / 2014–15 / 227 दिनांक 18.07.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
4. डॉ. सुनिता लाम्बा पत्नी श्री रंजन लाम्बा, C/o श्री रामनिवास लाम्बा, लाल कोठी, रेलवे कॉसिंग के पास गुढ़ा मोड़, झुन्झुनू (राज) 333001 (रजिस्टर्ड डाक से)।
5. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

शिवशंकर

(शिव शंकर अग्रवाल)
शासन सहायक सचिव